उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1677

दिनांक /Date.: 23.02.2021

संवाद–93

विषयः– पुलिस भर्ती में आयुसीमा 35 वर्ष किये जाने के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को यह पत्र भेजा गया है कि पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे कई युवाओं की आयु 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और वे अब इस भर्ती में आवेदन की उम्र धारित नहीं कर रहे है, ऐसे में आयुसीमा को 35 वर्ष किया जाय।

इस संदर्भ में अभ्यर्थियों को स्पष्ट करना है कि किसी भी पद के लिए आयु एवं अन्य पात्रताएं व शैक्षिक अर्हतायें क्या होंगी इसका निर्धारण सेवा नियमावलियों व कार्मिक प्रबन्धन से संबंधित सामान्य आदेशों के द्वारा राज्य सरकार करती है। आयोग इस संबंध में किसी भी नियम को बनाने या उसे संशोधित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता। ऐसे में पुलिस या किसी भी अन्य भर्ती के लिए आयुसीमा में छूट दिये जाने या किसी अन्य नियम में संशोधन किये जाने की कार्यवाही आयोग के स्तर पर संभव नहीं है।

आयोग की ओर से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता
राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com